-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.08.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **साले द्वारा अपने साथियों के संग मिलकर अवैध तमंचा के बल पर जीजा के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले साले व उसके साथी को सूचना के 02 घण्टे के भीतर थाना मटौन्ध पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से लूट की घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस व लूट के पीली धातु के चेन बरामद। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 03.08.2024 को मोहन पुरवा जंगल के पास लूट की घटना को दिया गया था अंजाम।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शस्त्रों का संग्रहण, निर्माण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों पर की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 04.08.2024 को थाना थाना मटौन्ध पुलिस द्वारा जीजा के साथ अवैध तमंचा के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले साले व उसके साथी को सूचना के 02 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट की घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस व लूट के पीली धातु के चेन बरामद किया गया है। गौरतलब हो कि आज दिनांक 04.08.2024 को जनपद महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के रहने वाले रामजी पुत्र हरिवंश सिंह द्वारा थाना मटौन्ध पर सूचना दी कि कल दिनांक 03.08.2024 की सुबह मोहन पुरवा से जंगल जाने वाले रास्ते पर उसके साले रामजी पुत्र निरंजन सिंह द्वारा अपने 02 अन्य साथियों के साथ मिलकर तमंचा के बल पर उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इस सम्बन्ध में तत्काल थाना मटौन्ध पर अभियोग पंजीकृत करते हुए सूचना के 02 घण्टे के भीतर घटना को अंजाम देने वाले उसके साले व उसके अन्य साथी को थाना मटौन्ध क्षेत्र के सेमरिया दाई मन्दिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस तथा लूट के पीली धातु के चेन बरामद हुआ है।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर (घटना में प्रयुक्त)
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद् चेन पीली धातु (लूट के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामजी सिंह पुत्र निरंजन सिंह निवासी मुडेरी थाना मटौन्ध जनपद बांदा।
2. संजय पाल पुत्र श्रीपाल निवासी मोहन पुरवा थाना मटौन्ध जनपद बांदा।

फरार/वांछित अभियुक्त-

1. प्रांशु यादव पुत्र चेला यादव निवासी मोहनपुरवा थाना मटौन्ध जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 106/24 धारा 308(5)/317(2)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटौन्ध जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री राम मोहन राय प्र0नि0 मटौन्ध
2. उ0नि0 श्री मोहम्मद अकरम
3. उ0नि0 श्री भवानी सिंह
4. हे0कां0 सत्येश मिश्र
5. हे0कां0 नीरज यादव